5/2017/
संख्या– 158/33–3–2016–10 जी.आई./2015

प्रेषक,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 23 जनवरी, 2017

विषय– वर्ष 2017–18 में ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी मार्गनिर्देश एवं प्रिया–साफ्ट पर वार्षिक पुस्तिका बंदी के सम्बन्ध में।

महोदय,

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम–1947 में निहित व्यवस्था को मूर्तरूप प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा **ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी)–"हमारी योजना हमारा विकास"** को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2015–16 से लागू किया गया है।

ग्राम पंचायत विकास योजना ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं तैयार की गयी विकास योजना है जो कि ग्राम सभा की बैठक के माध्यम से जन समुदाय की आवश्यकताओं का चिह्नीकरण एवं प्राथमिकीकरण करते हुए विभिन्न स्रोतों एवं योजनाओं से उपलब्ध होने वाले संसाधनों को समेकित कर सहभागी नियोजन द्वारा तैयार की जाती है। इस प्रकार से तैयार की गयी वार्षिक कार्ययोजनाओं को पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के साफ्टवेयर–**'प्लान–प्लस'** पर अंकित किया जाता है, तत्पश्चात् सम्बन्धित साफ्टवेयर–'**ऐक्शन–साफ्ट**' पर प्रत्येक 'वर्क आई.डी.' के सापेक्ष तकनीकी तथा प्रशासनिक अनुमोदन के उपरान्त भौतिक और वित्तीय प्रगति अंकित की जाती है तथा '**प्रिया–साफ्ट**' साफ्टवेयर पर कार्यों का लेखा–जोखा रखा जाता है। प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने की प्रक्रिया तथा पंचायतों के ई–सुदृढ़ीकरण को सफल बनाने हेतु निम्नांकित रूप से प्रयास किये जा रहें है–

1– राज्य, जनपद, विकास खण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर वृहद् स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने सम्बन्धी दृष्टिकोण निर्माण हेतु जनपद एवं खण्ड स्तरीय प्रशिक्षणों के आयोजन के साथ ई–गवर्नेन्स के कार्यों हेतु उपलब्ध साफ्टवेयर पर जनपद एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण भी सम्मिलित है।

2– केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से विभागीय योजनाओं के अनुश्रवण हेतु 11 साफ्टवेयर संचालित किये गये हैं, जिसमें प्रथम चरण में 8 साफ्टवेयर्स यथा–**एल.जी.डी., एरिया प्रोफाइलर, एसेट डायरेक्ट्री, प्लान–प्लस, ऐक्शन साफ्ट, प्रिया–साफ्ट, नेशनल पंचायत पोर्टल एवं एस.एस.डी.जी./ ई–डिस्ट्रिक्ट** पर प्रदेश में कार्य किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाली अचल सम्पत्तियों/एसेट की मैपिंग हेतु मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन योजना–एम एसेट पर समस्त जनपदों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य भी किया जा रहा है।

3– प्रदेश में वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की गयी लगभग शत–प्रतिशत ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजनाओं को पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश कार्ययोजना की फीडिंग में देश में प्रथम स्थान पर है।

4– त्रि–स्तरीय पंचायतों के वार्षिक लेखा–जोखा सम्बन्धी विवरण प्रिया–साफ्ट सॉफ्टवेयर में वर्ष 2014–15 तक लगभग शत–प्रतिशत बन्दी किये जा चुके हैं।

5– प्रदेश की लगभग 1.5 लाख से अधिक परिसम्पत्तियां, नेशनल एसेट डायरेक्ट्री पर अंकित की चुकी हैं एवं लगभग 10 लाख से अधिक जन्म–मृत्यु एवं परिवार रजिस्टर की नकल के आवेदनों का निस्तारण एस.एस.डी.जी./ई–डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर पर किया जा चुका है।

6– प्रदेश में लगभग 8000 ग्राम पंचायत अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के कार्य हेतु लैपटॉप का वितरण किया गया है जिसके उपयोग हेतु जनपद स्तर पर उपलब्ध तकनीकीकर्मी/डी.पी.एम. के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा लैपटॉप हैण्डलिंग पर प्रशिक्षण आयोजित कराया जाना प्रक्रियाधीन है।

उक्त रूप से किये गये प्रयासों का संचालन प्रत्येक वर्ष एक अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में प्रदेश में किया जाना है, जिसकी सफलता हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर अनिवार्य रूप से कार्य किये जाने की आवश्यकता है–

1– पंचायतों द्वारा प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किया जाना, एक सतत प्रक्रिया है, अतः वर्ष 2017–18 की विकास योजनाओं हेतु पंचायतों द्वारा **'नियोजन प्रक्रिया'** जनवरी 2017 से प्रारम्भ की जानी है जिससे कि 31 मार्च 2017 तक समस्त पंचायतों की विकास योजनायें ऑनलाइन साफ्टवेयर **'प्लान–प्लस'** पर अपलोड की जा सके।

2– यहॉ पर योजना निर्माण हेतु नियोजन की प्रक्रिया से आशय दिनांक 29 सितम्बर, 2015 द्वारा शासन से निर्गत मार्गनिर्देशों एवं अन्य क्रियान्वयन सम्बन्धी आदेशों के

अनुरूप वातावरण सृजन, समस्याओं/आवश्यकताओं का चिन्हीकरण, ग्राम सभा की बैठक का आयोजन, वित्तीय संसाधनों (ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग एवं स्वयं द्वारा अर्जित आय) की उपलब्धता के अनुरूप प्राथमिक आवश्यकताओं को चयनित करते हुए ड्राफ्ट योजना तैयार किया जाना तथा योजना में लिये गये कार्यों पर अनुमानित व्यय के अनुसार अन्तिम रूप से तैयार की गयी कार्ययोजना पर ग्राम सभा द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जानी है।

3– योजना तैयार करने में उक्त रूप से जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के अध्यक्षता में गठित क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति, खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, न्याय पंचायत स्तरीय चार्ज अफसरों, तकनीकी कर्मियों एवं ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप के अन्तर्गत ग्राम प्रधान, सचिव, खण्ड स्तरीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है जो कि ग्राम सभा की बैठक के समय उपस्थित रहकर ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उठायी गयी समस्याओं /आवश्यकताओं के पूर्ण रूप से निराकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

4– इस प्रकार से तैयार की गयी योजना को **'प्लान–प्लस'** पर अपलोड करने के पश्चात् कार्यवार प्राक्कलन तैयार करने एवं तकनीकी अनुमोदन हेतु खण्ड स्तर पर उपलब्ध तकनीकी कर्मी यथा–जे.ई.एम.आई. एवं जे.ई.आर.ई.डी., मण्डी परिषद, जिला पंचायत के उपलब्ध तकनीकी कर्मियों के साथ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अन्य नियमित तकनीकी कर्मियों को भी नामित किया जा सकता है। शासनादेश संख्या–3/2016/3038/33–1–2016 दिनांक– 22 नवम्बर, 2016 के अन्तर्गत रू. 2 लाख तक की लागत के कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार ग्राम सभाओं को है तथा कार्ययोजना की स्वीकृति पूर्ण रूप से ग्राम सभा की खुली बैठक में लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, शेष रू. 2 लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु पंचायत राज अधिनियम–1947 के नियम 154 में यथावश्यक संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

5– इस प्रकार से ग्राम पंचायत विकास योजना में लिये गये कार्यो की यूनीक वर्क आई.डी. **ऐक्शन–साफ्ट** साफ्टवेयर पर जारी कराकर उसके सापेक्ष **प्रिया–साफ्ट** साफ्टवेयर पर वाउचर इन्ट्री के माध्यम से व्यय धनराशि का लेखा–जोखा रखेगी।

6– उक्त प्रकार से वर्ष 2017–18 में **ऐक्शन–साफ्ट** एवं **प्रिया–साफ्ट** पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2016–17 की वार्षिक कार्यों

की यूनीक वर्क आई.डी., प्लान–प्लस तथा ऐक्शन–साफ्ट साफ्टवेयर पर जारी कराकर उसके सापेक्ष प्रिया–साफ्ट साफ्टवेयर पर वाउचर की इन्ट्री के माध्यम से व्यय धनराशि का लेखा–जोखा भी ऑनलाइन अंकित कराना आवश्यक है। चूंकि भारत सरकार द्वारा राज्य को प्राप्त होने वाली 14वें वित्त आयोग की धनराशि के सापेक्ष व्यय का अनुश्रवण भी भारत सरकार के स्तर पर उक्त साफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है अतः 14वें वित्त आयोग की अनुदान राशि राज्य को निर्बाध रूप से प्राप्त हो सके। इसके लिये आवश्यक होगा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों की वर्ष 2015–16 की प्रिया–साफ्ट पर वार्षिक पुस्तिका शत–प्रतिशत बन्द करने तथा वर्ष 2016–17 की प्लान–प्लस/ऐक्शन साफ्ट साफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक कार्य की वर्क आई.डी. के सापेक्ष व्यय की अद्यतन वाउचर इन्ट्री, प्रिया साफ्ट पर ऑनलाइन अनिवार्य रूप से फ्रीज करा दी जाय।

7– ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत जिन 12 जनपदों यथा–अलीगढ़, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कासगंज, मेरठ, हरदोई, इटावा, प्रतापगढ, गोण्डा, बइराइच, संत कबीर नगर तथा ललितपुर द्वारा विकास खण्ड स्तर के समस्त प्रशिक्षणों का आयोजन पूर्ण नहीं किया गया है, उक्त जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा नयी योजना को तैयार करने से पूर्व समस्त हित धारकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है।

अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि **वर्ष 2017–18 हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया प्रारम्भ कराने के साथ स्वयं के स्तर से साप्ताहिक बैठक कर जनपद स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी तथा खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी(पं0) द्वारा प्लान–प्लस, ऐक्शन–साफ्ट तथा प्रिया–साफ्ट साफ्टवेयर पर की जा रही प्रविष्टियों की समीक्षा कर अपने जनपद की सभी ग्राम पंचायतों की वर्ष 2015–16 की प्रिया साफ्ट पर वार्षिक पुस्तिका शत–प्रतिशत बन्द करने तथा वर्ष 2016–17 की प्लान–प्लस/ऐक्शन–साफ्ट साफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक कार्य की वर्क आई.डी. के सापेक्ष व्यय की अद्यतन वाउचर इन्ट्री, प्रिया–साफ्ट पर ऑनलाइन अनिवार्य रूप से फ्रीज कराने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।** इस सम्बन्ध में यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि ऑनलाइन इन्ट्री हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) द्वारा आवश्यक अभिलेख सम्बन्धित जिला परियोजना प्रबन्धक एवं खण्ड स्तर पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को अवश्य उपलब्ध करा दिये जायें।

भवदीय

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदेव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. श्री जितेन्द्र शंकर माथुर, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
5. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
6. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।
7. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ.प्र. शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
9. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ.प्र. शासन।
10. प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ.प्र. शासन।
11. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ.प्र. शासन।
12. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ.प्र. शासन।
13. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन।
14. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन।
15. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
16. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र.।
17. निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।
18. निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान(प्रिट), लखनऊ।
18. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।
19. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), उ.प्र.।
20. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र.।
21. समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उ.प्र.।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।